Conversion of Industrial Plots

***1777.** **SH. Subhash Sudha, M.L.A.:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that fourteen industrial plots in the State have been converted into commercial sites by the Government according to the Haryana Enterprises and Employment Policy, 2020 togetherwith whether the industrial plot of Sector-2, Kurukshetra has also been converted according to the said policy; and

b) if so, the details of the rules regarding conversion of the abovesaid plots?

Reply:-

Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Haryana

a) As per the Haryana Enterprise & Employment Policy, 2020, clause 5.7.16 regarding Old Industrial Areas Developed by Department of Industries & Commerce:

"*In the 14 Old Industrial Area, Department of Industries & Commerce shall allow the utilization of land for commercial purposes in addition to industrial use subject to charging of conversion fee and regularizing of industrial plots bifurcated/fragmented prior to the issue of this notification (wherein sale deed is executed by sub-registrar) by charging bifurcation fee/processing fee as the case may be. No zoning plan shall be required for transfer and bifurcation or division of plots.*"

In this regard, the HSIIDC has allowed conversion of 3 no. of industrial plots after the announcement of Haryana Enterprises and Employment Policy, 2020 on 29.12.2020, detail of which are as under:

Sr. No.	Name of Estate	Plot no. converted from industrial to commercial	Date of conversion
1	Bahadurgarh	T-3	28.10.2021
2	RIE Barwala (Hisar)	B-9	29.06.2021
3	IDC Sonepat	O-11B	31.05.2021

It is also pertinent to mention here that the Corporation/Department of Industries, Haryana has allowed conversion of a total of 8 industrial plots/sheds (including above 3 plots) from industrial to commercial/mix land use (i.e. 2 plots of old IDC, Bahadurgarh, 2 plots of IDC, Panipat, one plot in IDC, Yamunanagar, one plot in RIE, Barwala (Hisar) & 2 plots of IDC Sonepat from industrial to commercial/mix land use as per the State Govt. notification dated 14.09.2006, 06.02.2012 & 19.08.2014 to allow utilization of land for commercial purpose subject to charging of conversion fee.

b) The aforesaid policy/notification is applicable only for the industrial plots transferred from Department of Industries, Haryana. There is no policy/guidelines w.r.t. conversion of industrial plots of HSIIDC & HSVP. Since the Industrial Estate, Kurukshetra has been transferred from HSVP, therefore the aforesaid conversion policy is not applicable in HSVP, Kurukshetra.

As per record, industrial plot of Sector-2, HSVP, Kurukshetra has not been converted so far.

****

औद्योगिक प्लॉटों का परिवर्तन

***1777. श्री सुभाष सुधा, एम.एल.ए.:** क्या उप–मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

क) क्या यह तथ्य है कि हरियाणा उद्यमी तथा रोजगार नीति, 2020 के अनुसार सरकार द्वारा राज्य में 14 औद्योगिक प्लॉटों को वाणिज्यक प्लॉटों में परिवर्तित किए गए हैं तथा क्या सेक्टर–2, कुरुक्षेत्र के औद्योगिक प्लॉट को भी उक्त नीति के अनुसार परिवर्तित किया गया है; तथा

ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्लॉटों के परिवर्तन से संबंधित नियमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तरः–

दुष्यंत चौटाला, उप–मुख्यमंत्री, हरियाणा

क) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा विकसित पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में हरियाणा उद्यम और रोजगार पॉलिसी, 2020 के खंड 5.7.16 के अनुसार :

"14 पुराने औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने द्विशाखन फीस/प्रक्रिया फीस, जैसी भी स्थिति हो, प्रभारित करके इस अधिसूचना (जिसमें विक्रय विलेख उप–रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित किया गया है) के जारी करने से पूर्व द्विशाखन/खंडित औद्योगिक प्लॉटों की परिवर्तन फीस प्रभारित करने तथा विनियमित करने के अध्यधीन औद्योगिक प्रयोग के अतिरिक्त वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग अनुज्ञात करेगा। कोई भी जोनिंग प्लान प्लॉटों के अंतरण तथा द्विशाखन या विभाजन के लिए अपेक्षित नहीं होगी।"

इस बारे में एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने दिनांक 29.12.2020 को हरियाणा उद्यम और रोजगार पॉलिसी, 2020 की घोषणा के बाद तीन औद्योगिक प्लॉटों का परिवर्तन अनुज्ञात किया है जिसके ब्यौरे निम्न अनुसार हैः–

क्र0 संख्या	संपदा का नाम	औद्योगिक से वाणिज्यक में परिवर्तित प्लॉटों की संख्या	परिवर्तन की तिथि
1	बहादुरगढ़	टी–3	28.10.2021
2	आर.आई.ई बरवाला (हिसार)	बी–9	29.06.2021
3	आई.डी.सी. सोनीपत	ओ–11बी	31.05.2021

यहां यह वर्णित करना उचित है कि निगम/उद्योग विभाग, हरियाणा ने परिवर्तन फीस प्रभारित करने के अध्यधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग अनुज्ञात करने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006, 06.02.2012 तथा 19.08.2014 के अनुसार कुल आठ औद्योगिक प्लॉटों/शेडों (उपरोक्त 3 प्लॉटों सहित) पुरानी आई.डी.सी., बहादुरगढ के 2

प्लॉट, आई.डी.सी., पानीपत के 2 प्लाट, आई.डी.सी., यमुनानगर में एक प्लॉट, आर.आई.ई बरवाला (हिसार) में एक प्लॉट, आई.डी.सी. सोनीपत के 2 प्लॉट) औद्योगिक से वाणिज्यक/मिश्रित भूमि प्रयोग का परिवर्तन अनुज्ञात किया है।

ख) पूर्वोक्त पॉलिसी/अधिसूचना केवल उद्योग विभाग, हरियाणा से अंतरित औद्योगिक प्लाटों के लिए लागू है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. तथा एच.एस.वी.पी. के औद्योगिक प्लाटों के परिवर्तन के संबंध में कोई पॉलिसी/मार्गदर्शन नहीं है जैसा कि औद्योगिक संपदा, कुरुक्षेत्र एच.एस.वी.पी. से अंतरित की गई है, इसलिए पूर्वोक्त परिवर्तन पॉलिसी एच.एस.वी.पी., कुरुक्षेत्र में लागू नहीं है।

रिकॉर्ड के अनुसार, सेक्टर–2, एच.एस.वी.पी., कुरुक्षेत्र का औद्योगिक प्लॉट अभी तक परिवर्तित नहीं किया गया है।

****